भारत सरकार तथा कनाडा सरकार के बीच विमान सेवाओं संबंधी करार

भारत सरकार तथा कनाडा सरकार, जिन्हें इससे आगे "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है,

जो 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किए गए अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता हैं,

अपने-अपने भू-भागों के बीच तथा उनसे परे विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए एक करार करने की इच्छा से,

नीचे लिखी बातों पर सहमत हुई हैं :-

अनुच्छेद 1

जब तक कि प्रसंग से कोई अन्य अर्थ अभीष्ट न हो, प्रस्तुत करार के प्रयोजन के लिए :

(क) "वैमानिक प्राधिकारी" पद का आशय कनाडा के संबंध में परिवहन मंत्री तथा कनाडा परिवहन आयोग होगा और भारत के संबंध में नागर विमानन के महानिदेशक अथवा दोनों के संबंध में किसी भी ऐसे प्राधिकारी अथवा व्यक्ति से है, जिसे ऐसे कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो जिन्हें इस समय उक्त प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है ;

(ख) "सम्मत सेवाएं" पद का आशय ऐसी अनुसूचित विमान सेवाओं से है जो यात्रियों, माल तथा डाक के परिवहन के लिए, अलग-अलग या सामूहिक रूप से प्रस्तुत करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर परिचालित की जाती हैं,

(ग) "करार" पद का आशय यह करार, इसके साथ सम्बद्ध अनुबंध तथा उसमें कोई संशोधन से है ;

(घ) " अभिसमय" पद का आशय 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय से है ;

(ङ) "नामित विमान कम्पनी" पद का आशय ऐसी विमान कम्पनी से है जिसे प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 4 तथा 5 के अनुसार नामित तथा प्राधिकृत किया गया है ;

(च) टैरिफ में समस्त चुंगी कर (परिवहन की दरें, किराये, प्रभार, वर्गीकरण, भत्ते), उनसे सम्बद्ध वहन की शर्तें, नियम, विनियम तथा परिपाटियाँ और एजेंसी की शर्तें तथा अन्य अनुषंगी सेवाएं सम्मिलित समझी जाएंगी परन्तु डाक के वहन के प्रभार तथा शर्तें सम्मिलित नहीं होंगे ;

(छ) "भू-भाग", "विमान सेवा", " अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा", "विमान कम्पनी" तथा "यातायात से भिन्न प्रयोजनों से रुकना" पदों के आशय वहीं हैं जो क्रमशः अभिसमय के अनुच्छेद 2 तथा 9 में उनके लिए निश्चित किए गए हैं ;

(ज) "रुकना" पद का आशय किसी यात्री द्वारा यात्रा के दौरान जानबूझ कर प्रस्थान स्थल तथा गंतव्य स्थल के बीच किसी ऐसे स्थान पर रुकना है जिस पर नामित विमान कम्पनी द्वारा पहले से सहमति हुई हो ;

(झ) "पारगामी यातायात" पद का आशय एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा उसी विमान पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होते हुए तीसरे देश में ले जाने वाला यातायात है ;

(ञ) गेज़ परिवर्तन करना का आशय एक नामित विमान कम्पनी द्वारा एक सम्मत सेवा का इस प्रकार परिचालन करना है कि मार्ग के एक खंड पर अनुच्छेद 3 के अनुसार ऐसे विमान से उड़ान की जाए जिसकी क्षमता दूसरे खंड पर प्रयुक्त किए गए विमान की क्षमता से भिन्न हो।

अनुच्छेद 2

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को, अनुबंध में अन्यथा विनिर्दिष्ट अधिकारों को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं का परिचालन करने के लिए निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है :

(क) बगैर उतरे हुए दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से होकर उड़ना,

(ख) यातायात से भिन्न प्रयोजनों के लिए उक्त भू-भाग में रुकना,

(ग) यात्रियों, माल तथा डाक के अंतरराष्ट्रीय यातायात को, अनुबंध में उल्लिखित मार्गों पर परिचालन करते समय, अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप से चढ़ाने तथा उतारने के प्रयोजन के लिए उक्त भू-भाग में रुकना, और

(घ) तीसरे देशों के स्थानों से आरंभ होने वाले अथवा वहाँ के लिए गन्तव्य पारगामी यातायात को, रुकने के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में तथा से ले जाना।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं समझा जाएगा कि उससे एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ऐसे यात्रियों, माल तथा डाक को पारिश्रमिक अथवा किराये के लिए चढ़ा सकेगा, जिसे उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ही किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाना हो।

अनुच्छेद 3

एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी गेज़ में परिवर्तन विनिर्दिष्ट मार्ग पर किसी भी स्थान पर केवल निम्नलिखित शर्तों पर ही कर सकेगी :

(क) कि स्थान में इस प्रकार का परिवर्तन करना परिचालनों की आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से उचित है ;

(ख) कि विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग से सुदूरवर्ती सेक्टर पर परिचालन करने वाला विमान निकटवर्ती सेक्टर पर केवल उक्त विमान कम्पनी के संबंध में ही परिचालन करेगा और उसकी समय-सारणी के अनुसार ही ऐसा

--4--

§ग§ कि विमान कम्पनी ऐसी सेवा की व्यवस्था करने के लिए, जो ऐसे स्थान से आरंभ होती हो जहाँ विमान में परिवर्तन किया जाता है, जनता में विज्ञापन द्वारा अथवा अन्यथा तब तक प्रचार नहीं करेगी जब तक कि मार्गों की अनुसूची द्वारा अन्यथा अनुमति नहीं दे दी जाती ;

§घ§ कि उस भू-भाग में जिसमें गेज का परिवर्तन किया जाता है किसी एक विमान की उड़ान के संबंध में उस भू-भाग से बाहर तब तक केवल एक ही उड़ान की जाए, जब तक कि दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा एक से अधिक उड़ान परिचालित करने के लिए प्राधिकृत नहीं कर दिया जाता ; और

§ङ.§ कि प्रस्तुत क़रार के अनुच्छेद 11 के उपबंध गेज परिवर्तन करने के संबंध में की गयी समस्त व्यवस्थाओं को शासित करेंगे।

अनुच्छेद 4

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदाकारी पक्ष के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट प्रत्येक मार्ग पर सम्मत सेवाओं के परिचालन के लिए राजनयिक नोट द्वारा एक या अधिक विमान कम्पनियाँ नामित करे और पहले नामित की गयी विमान कम्पनी के स्थान पर दूसरी विमान कम्पनी रखे।

अनुच्छेद 5

1. प्रस्तुत क़रार के अनुच्छेद 4 के अनुसार नामन अथवा प्रतिस्थापन की सूचना प्राप्त होने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी अपने कानूनों तथा विनियमों के अनुसार, इस प्रकार नामित विमान कम्पनी को कम से कम विलम्ब किए उन सम्मत सेवाओं को परिचालन करने का उपयुक्त प्राधिकार प्रदान करेंगे जिनके लिए वह विमान कम्पनी नामित की गयी है।

2. ऐसा प्राधिकार प्राप्त हो जाने पर, वह विमान कम्पनी सम्मत सेवाओं का किसी भी समय परिचालन आरम्भ कर सकेगी बशर्ते कि नामित विमान कम्पनी इस क़रार के उपबंधों को पूरा करती हो।

--5--

अनुच्छेद 6

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित विमान कम्पनी के संबंध में प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट प्राधिकारों का प्रयोग करने से इन्कार करने अथवा रोक देने या ऐसे प्राधिकारों को अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर प्रतिसंहृत करने, निलम्बित करने अथवा उन पर शर्तें लगाने का अधिकार होगा, यदि

(क) ऐसी विमान कम्पनी अभिसमय के अनुसार इन प्राधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से तथा उचित रूप से लागू किए जाने वाले कानूनों तथा विनियमों के अंतर्गत उस संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों के सामने पात्र बनने में असमर्थ रहती है ;

(ख) ऐसी विमान कम्पनी उस संविदाकारी पक्ष के कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन करने में असमर्थ रहती है ;

(ग) वे इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि विमान कम्पनी का वास्तविक स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष अथवा इसके राष्ट्रिकों में निहित है ; और

(घ) विमान कम्पनी प्रस्तुत करार के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार परिचालन करने में असमर्थ रहती है ।

2. जब तक उपर निर्दिष्ट कानूनों तथा विनियमों के अतिलंघन को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही करना अनिवार्य न हो, इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ही किया जाएगा। जब तक संविदाकारी पक्ष अन्यथा सहमत नहीं होते, ऐसा विचार-विमर्श दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर आरम्भ किया जाएगा ।

अनुच्छेद 7

1. अंतरराष्ट्रीय विमान चालन में लगे हुए विमान के एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने, वहां रहने या वहां से प्रस्थान करने अथवा ऐसे विमान

--6--

के परिचालन तथा दिक्चालन के संबंध में उक्त संविदाकारी पक्ष के कानूनों विनियमों तथा प्रक्रियाओं का दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा उस भू-भाग में प्रवेश करने, वहां से प्रस्थान करने तथा वहां रहते हुए अनुपालन किया जाएगा ।

2. एक संविदाकारी पक्ष के प्रवेश, रवन्ना, पारगमन, आप्रवासन, पासपोर्ट, सीमा-शुल्क, तथा संगरोध संबंधी कानूनों तथा विनियमों का दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा तथा उसके कार्मिकों, यात्रियों, माल तथा डाक द्वारा अथवा उनकी ओर से उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग का पारगमन करते समय, वहां प्रवेश करते समय, वहां से प्रस्थान करते समय तथा उस भू-भाग में रहते हुए अनुपालन किया जाएगा ।

3. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के पार जाने वाले यात्रियों पर सरलीकृत नियंत्रण से अधिक नियंत्रण लागू नहीं होंगे । सीधे पारगामी सामान व माल सीमा-शुल्कों तथा ऐसे ही अन्य करों से मुक्त रहेगा ।

अनुच्छेद 8

1. एक संविदाकारी पक्ष द्वारा जारी किए गए अथवा वैधकृत उड़न-योग्यता प्रमाणपत्र, सक्षमता प्रमाणपत्र तथा लाइसेंस, जो अभी भी लागू हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत करार के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाएं परिचालित करने के प्रयोजन के लिए वैध माने जाएंगे बशर्ते कि ऐसे प्रमाण-पत्र या लाइसेंस अभिसमय के अंतर्गत संस्थापित मानकों के अनुसार एवं अनुरूप जारी किए गए हों अथवा वैध समझे गए हों । तथापि, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के पास यह अधिकार प्रारक्षित है कि वह अपने भू-भाग के ऊपर से उड़ान करने के प्रयोजन के लिए उसके अपने ही नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाण-पत्रों तथा लाइसेंसों को मान्यता देने से इन्कार कर दें ।

2. यदि एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा इस करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाओं का परिचालन करने वाले किसी व्यक्ति या नामित विमान कम्पनी को जारी किये गए ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्रों के विशेषाधिकार अथवा शर्तें, अभिसमय के अंतर्गत स्थापित मानकों से भिन्नता की अनुमति प्रदान करते हैं और जो भिन्नता अंतरराष्ट्रीय नागर

विमानन संगठन में दायर की गयी है, तो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी पहले संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों के साथ इस बात के लिए अपनी संतुष्टि करने के दृष्टिकोण से विचार-विमर्श करने का अनुरोध कर सकते हैं कि यह प्रथा उन्हें स्वीकार्य है। उड़ान सुरक्षा से संबंधित मामलों में संतोषजनक समझौता न हो पाने की दशा में, इस करार के अनुच्छेद 6 के उपबंध लागू होंगे। अन्य मामलों में, इस करार का अनुच्छेद 21 लागू होता है।

अनुच्छेद 9

1. दोनों संविदाकारी पक्ष विमान पर गैर-कानूनी कब्जा करने को रोकने तथा विमान, विमानक्षेत्रों तथा दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कार्यवाहियों और विमानन सुरक्षा को किसी अन्य भय की दृष्टि से भी एक दूसरे के साथ यथा-आवश्यक सहयोग करने पर सहमत होते हैं।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में प्रवेश करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करने तथा यात्रियों और उनके सामान का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त उपाय करने पर सहमत होते हैं। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष से किसी विशेष धमकी से निपटने के लिए अपने विमान या यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय के लिए प्राप्त अनुरोध पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे।

3. दोनों संविदाकारी पक्ष सुरक्षा सम्बन्धी अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा स्वीकृत कार्य-प्रणालियों के रूप में अभिनिर्धारित एवं अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुबंध 17 के रूप में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित प्रयोज्य विमानन सुरक्षा उपबंधों पर उस सीमा तक लगातार सावधानी-पूर्वक कार्यवाही करेंगे जिस सीमा तक ऐसे सुरक्षा उपबंध संविदाकारी पक्षों पर लागू होते हैं। यदि कोई संविदाकारी पक्ष ऐसे उपबंधों का अनुपालन नहीं करता, तो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी उस संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि वे किसी संतोषजनक समझौते पर नहीं पहुंच पाते, तो इस करार के अनुच्छेद 6 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

लागू होते हैं। यदि कोई संविदाकारी पक्ष ऐसे उपबंधों का अनुपालन नहीं करता, तो दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी उस संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध कर सकते हैं। यदि वे किसी संतोषजनक समझौते पर नहीं पहुंच पाते तो इस करार के अनुच्छेद 6 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

4. दोनों संविदाकारी पक्ष 4 सितम्बर, 1963 को टोकियो में हस्ताक्षर किए गए अपराध अभिसमय तथा विमान पर सम्पन्न कुछ अन्य अधिनियमों के एवं किसी अन्य सम्बद्ध अभिसमय के भी, जो दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में लागू हों, उपबंधों के अनुरूप कार्यवाही करेंगे।

5. विमान पर गैर-कानूनी कब्जा करने की घटना या ऐसी घटना की धमकी या विमान, विमानक्षेत्रों तथा विमानचालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरूद्ध अन्य गैर-कानूनी कार्यवाही होने की अवस्था में, दोनों संविदाकारी पक्ष ऐसी संचार सुविधाएं प्रदान करके, जो ऐसी घटना अथवा घटना की धमकी का शीघ्रता से तथा सुरक्षापूर्वक निवारण करने के लिए अपेक्षित हों, एक दूसरे की सहायता करेंगे।

अनुच्छेद 10.

1. एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमान पर विमानक्षेत्रों तथा अन्य विमान चालन सुविधाओं के प्रयोग के लिए लगाए गए प्रभार, पहले संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीय विमान कम्पनी के ऐसी ही अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर लगे विमान पर लगाए गए प्रभारों से अधिक नहीं होंगे।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष अपनी ही अथवा किसी अन्य विमान कम्पनी को अपने सीमा-शुल्क, संगरोध तथा इसी प्रकार के विनियम लागू करने में अथवा इसके नियंत्रणवर्ती विमानक्षेत्रों, विमान मार्गों, विमान यातायात सेवाओं तथा सम्बद्ध सुविधाओं का प्रयोग करने में दूसरे संविदाकारी पक्ष की इसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं में लगी विमान कम्पनी से तरजीह नहीं देगा।

---9---

3. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने सक्षम प्रभारी प्राधिकारियों तथा नामित विमान कम्पनी के बीच, सेवाओं तथा सुविधाओं का प्रयोग करके और जहाँ व्यवहार्य हो, विमान कम्पनियों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से, विचार-विमर्श को प्रोत्साहन देगा। किसी प्रस्ताव के उपयोक्ताओं को प्रयोक्ता प्रभारों में परिवर्तन करने के लिए उचित समय का नोटिस दिया जाना चाहिए: जिससे कि वे परिवर्तन करने से पहले अपने विचार व्यक्त कर सकें।

अनुच्छेद 11

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को प्रस्तुत करार के अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों पर सम्मत सेवाएं परिचालित करने के संबंध में उचित और समान अवसर प्राप्त होंगे।

2. सम्मत सेवाओं का परिचालन करने में, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी दूसरे संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी के हितों को ध्यान में रखेगी जिससे कि दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उसी मार्ग पर अथवा उस मार्ग के एक भाग पर प्रदान की गयी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3. संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा प्रदान की गयी सम्मत सेवाओं का विनिर्दिष्ट मार्गों पर जनता की परिवहन संबंधी अपेक्षाओं के साथ उचित संबंध होवेगा और अपने प्रमुख उद्देश्यों के रूप में, उन संविदाकारी पक्षों के भू-भागों, जिन्होंने विमान कम्पनी नामित की है, तथा यातायात के अंतिम गंतव्य वाले देशों के बीच यात्रियों, माल तथा डाक के वहन के लिए वर्तमान तथा उचित रूप से प्रत्याशित आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति करने के लिए, उचित भार अनुपात के आधार पर क्षमता की व्यवस्था होगी।

4. विमान कम्पनी को नामित करने वाले देश से इतर देशों के भू-भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर आने वाले स्थानों पर यात्रियों, माल तथा डाक के चढ़ाने तथा उतारने की व्यवस्था इस सामान्य सिद्धांत के अनुसार की जाएगी कि क्षमता के मामले में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा :-

(क) विमान कम्पनी को नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग के लिए तथा से यातायात की आवश्यकताएं ;

34 H

§ख§ जिस क्षेत्र में से विमान कम्पनी गुजरती है उस क्षेत्र में पड़ने वाले देशों की विमान कम्पनियों द्वारा स्थापित अन्य परिवहन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन क्षेत्रों की यातायात आवश्यकताएं ;

§ग§ विमान कम्पनियों के सीधे बिना रुके परिचालन की आवश्यकताएं।

5. विनिर्दिष्ट मार्गों पर प्रदान की जाने वाली क्षमता के बारे में नामित विमान कम्पनियों के बीच इस अनुच्छेद में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार तथा संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा उनका अनुमोदन कर देने की अवस्था में सहमति होवेगी। नामित विमान कम्पनियों के बीच एक समझौता न होने पर, मामले को संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों को सौंप दिया जाएगा जो समस्या का समाधान, यदि आवश्यक हो, प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 19 के अनुसार करने का प्रयत्न करेंगे। विमान कम्पनी स्तर पर अथवा वैमानिक प्राधिकारियों के बीच कोई व्यवस्था होने तक, यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाएगी।

अनुच्छेद 12

1. दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी अपनी-अपनी नामित विमान कम्पनियों से दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को मासिक समय-सारणी के आधार पर आंकड़ों के ऐसे मासिक विवरण भिजवाएंगे जिनमें प्रस्तुत करार के अनुबंध में विनिर्दिष्ट मार्गों पर वाहित यातायात की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सभी सूचना सम्मिलित होगी, जिसमें उड़ान पर यातायात को चढ़ाने तथा उतारने और, यदि संभव हो, ऐसे यातायात के उद्गम स्थान तथा अंतिम गंतव्य स्थल भी शामिल होंगे।

2. प्रदान किए जाने वाले सांख्यिकीय आंकड़ों के ब्यौरे तथा ऐसे आंकड़ों को भेजे जाने वाली पद्धतियों की व्यवस्था पर वैमानिक प्राधिकारयों के बीच सहमति होवेगी और उसका कार्यान्वयन एक या दोनों संविदाकारी पक्षों की विमान कम्पनी द्वारा सम्मत सेवाओं का पूर्ण रूपेण अथवा आंशिक रूप से परिचालन आरंभ करने के बाद तीन §3§ महीने के अंदर किया जाएगा।

9/H

अनुच्छेद 13

1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को पारस्परिक आधार पर अपने राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत विमान, ईंधन, स्नेहक तेलों, उपभोज्य तकनीकी रसद, इंजनों सहित फालतू पुर्जों, नियमित विमान उपस्कर, विमान भण्डार [जिनमें उड़ान के दौरान सीमित मात्रा में यात्रियों को बेचने के लिए शराब, तम्बाकू तथा अन्य उत्पादन सम्मिलित हैं], सम्मत सेवाओं का परिचालन करने वाले ऐसे दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमानों के परिचालन अथवा मरम्मत के संबंध में प्रयोग के लिए अथवा केवलमात्र इनके लिए प्रयोग की गयी अन्य वस्तुओं को एवं मुद्रित टिकट स्टाक, हवाई मार्ग बिलों, किसी भी मुद्रित सामग्री, जिस पर कम्पनी का मुद्रित चिन्ह हो तथा उस नामित विमान कम्पनी द्वारा बिना प्रभार के वितरित की गयी सामान्य प्रचार सामग्री को आयात प्रतिबंधों, सीमा-शुल्क, विक्रय तथा उत्पाद शुल्क, निरीक्षण फीस तथा अन्य राष्ट्रीय शुल्कों और प्रभारों से यथासंभव पूर्ण रूप से छूट देगा।

2. इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गयी छूटें इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित ऐसी वस्तुओं पर लागू होंगी जो :

[क] एक संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से लाई गयी हों ;

[ख] एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमान के दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में पहुंचने अथवा रवाना होने पर उक्त विमान पर रखी रही हों ;

[ग] एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी के विमान पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में रखी गयी हों तथा जो सम्मत सेवाओं के परिचालन के लिए अभिप्रेत हों ;

चाहे ऐसी वस्तुओं का पूर्ण रूप से प्रयोग या खपत छूट प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में की जाती है या नहीं परन्तु ऐसी वस्तुओं का उक्त संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में संक्रमण नहीं किया जाता है।

--12--

3. दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान पर सामान्यतः रखे गये नियमित उड़ानगत उपस्कर एवं सामग्री और भण्डार को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उस भू-भाग के सीमा-शुल्क अधिकारियों की अनुमति से ही उतारा जा सकेगा। ऐसे मामले में, उन्हें उनका पुनर्निर्यात किए जाने तक अथवा सीमा-शुल्क विनियमों के अनुसार उनका अन्यथा निपटान किए जाने तक उन प्राधिकारियों की ही निगरानी में रखा जाएगा।

अनुच्छेद 14

1. एक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग तक अथवा वहाँ से वहन के लिए चार्ज किए जाने वाले टैरिफ उचित स्तर पर निश्चित किए जाएंगे और इसके परिचालन व्यय, उचित लाभ तथा जहां उपयुक्त समझा जाए, अन्य विमान कम्पनियों के टैरिफों सहित सभी सम्बद्ध तथ्यों का यथोचित ध्यान रखा जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट टैरिफों पर, यदि संभव हो, दोनों संविदाकारी पक्षों की सम्बद्ध नामित विमान कम्पनियों द्वारा एक समझौता किया जाएगा और ऐसा समझौता, जहां कहीं संभव हो, टैरिफों का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन की प्रक्रियाओं का प्रयोग करके किया जाएगा।

3. इस प्रकार से सम्मत टैरिफों को उन्हें लागू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम पैंतालीस (45) दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वैमानिक प्राधिकारी सहमत हों तो यह अवधि विशेष मामलों में घटाई भी जा सकती है।

4. यह सहमति तुरंत दी जानी चाहिए। यदि दोनों में से किसी भी वैमानिक प्राधिकारी ने, इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार टैरिफों के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस (30) दिन के अंदर-अंदर अपनी अस्वीकृति व्यक्त नहीं की, तो इन टैरिफों को स्वीकृत हुआ समझ लिया जाएगा। यदि टैरिफ प्रस्तुत किए जाने की अवधि को घटाया जाता है, जैसे कि पैरा 3 में व्यवस्था है, तो वैमानिक प्राधिकारी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि वह अवधि, जिसके कि अंदर-अंदर अपनी अस्वीकृति की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए, तीस (30)

--13-

दिन से कम होगी।

5. यदि किसी टैरिफ पर इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार सहमति नहीं हो सकती अथवा इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार लागू होने वाली अवधि के दौरान यदि एक वैमानिक प्राधिकारी दूसरे वैमानिक प्राधिकारी को इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबंधों के अनुसार सहमत टैरिफ के बारे में अपनी अस्वीकृति की सूचना दे देता है तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा टैरिफ निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे।

6. यदि वैमानिक प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अंतर्गत उन्हें प्रस्तुत किए गए किसी टैरिफ पर अथवा इस अनुच्छेद के पैरा 5 के अंतर्गत किसी टैरिफ को निश्चित करने पर सहमत न हो सकें तो विवाद का निपटान प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 20 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

7. (क) कोई भी टैरिफ तब तक लागू नहीं होगा यदि दोनों में से किसी भी संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 19 के उपबंधों को छोड़ कर इससे असहमत हैं।

(ख) जब इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार टैरिफ स्थापित हो जाएंगे, तो वे टैरिफ तब तक लागू रहेंगे जब तक प्रस्तुत करार के इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 19 के उपबंधों के अनुसार नये टैरिफ स्थापित नहीं हो जाते हैं।

8. यदि एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी संस्थापित टैरिफ से असंतुष्ट है या उसका पुनरीक्षण कराना चाहते हैं, तो वे इसके बारे में दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को सूचित करेंगे और नामित विमान कम्पनी जहां अपेक्षित हो, समझौता करने का, प्रयास करेंगी। यदि नामित विमान कम्पनियां सहमत नहीं हो पाती तो इस अनुच्छेद के पैरा 5 तथा 6 में उल्लिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी।

9. दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि (क) प्रभारित एवं एकत्रित किए गए टैरिफ दोनों वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत टैरिफों के अनुरूप हों तथा (ख) कोई भी विमान कम्पनी ऐसे टैरिफों के किसी भाग में किसी भी तरह छूट नहीं देगी।

--14--

अनुच्छेद 15

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपनी नामित विमान कम्पनी से दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को सेवा के प्रकार, उपयोग किए जाने वाले विमान के प्रकार, उड़ान अनुसूचियों, टैरिफ अनुसूचियों तथा सम्मत सेवाओं के परिचालन से संबंधित अन्य सभी सम्बद्ध सूचनाओं की, जिनमें ऐसी सूचना भी सम्मिलित होगी जो वैमानिक प्राधिकारियों को इस बात की तसल्ली कराने के लिए आवश्यक हो कि प्रस्तुत करार की शर्तों का विधिवत् रूप से पालन किया जा रहा है, सम्मत सेवाओं को आरंभ करने से यथासंभव जितना पहले हो सके भिजवायेगा। सम्मत सेवाओं से संबंधित किसी भी परिवर्तन पर इस अनुच्छेद की शर्तें इसी प्रकार लागू होंगी।

अनुच्छेद 16

1. प्रत्येक नामित विमान कम्पनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में विमान परिवहन के विक्रय का सीधे ही, तथा अपने विवेक से, अपने एजेंटों के माध्यम से, करने का अधिकार होगा। ऐसी विमान कम्पनी को ऐसे परिवहन के विक्रय का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति सम्बद्ध राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों के अंतर्गत रहते हुए उस भू-भाग की मुद्रा में अथवा अन्य देशों की आसानी से संपरिवर्तनीय मुद्राओं में खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

2. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को इसके परिचालनों की सामान्य अवधि में प्राप्त निधियों का मुक्त रूप से हस्तांतरण करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे हस्तांतरण उक्त हस्तांतरण के समय विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित सम्बद्ध राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार लागू होंगे और उन पर ऐसे सौदों के लिए बैंकों द्वारा सामान्य रूप से एकत्रित किए गए प्रभारों के अलावा कोई प्रभार लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 17

1. एक संविदाकारी पक्ष की नामित विमान कम्पनी को दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में, पारस्परिक आधार पर, सम्मत सेवाओं के परिचालन के संबंध में यथापेक्षित अपने प्रतिनिधि तथा वाणिज्यिक, परिचालन तथा तकनीकी कर्मचारी रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

--15--

2. ऐसे प्रतिनिधि तथा कर्मचारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रवर्तित कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन करेंगे और ऐसे कानूनों तथा विनियमों के अनुसार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, पारस्परिक आधार पर तथा कम से कम समय में, इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट प्रतिनिधियों को आवश्यक कार्य परमिट, रोजगार वीज़ा अथवा ऐसे ही अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा।

3. दोनों संविदाकारी पक्ष, संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर, कुछ अस्थायी सेवाओं तथा कर्तव्यों का सम्पादन करने वाले कार्मिकों के लिए कार्य-परमिटों अथवा विशेष कार्यकारी वीज़ा की अपेक्षाओं को समाप्त कर देंगे। जहां ऐसे कार्य परमिटों की आवश्यकता होगी, वे तत्काल निःशुल्क जारी कर दिए जाएंगे जिससे कि संबंधित कार्मिक के राज्य में अवतरण करने तथा प्रवेश करने में विलम्ब न होवे।

4. इन कर्मचारियों संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति, नामित विमान कम्पनी के विकल्प पर, इसके अपने कार्मिकों द्वारा अथवा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में परिचालन करने वाले किसी अन्य सक्षम संगठन, कम्पनी अथवा विमान कम्पनी की, जिसे उस संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में ऐसी सेवाएं परिचालित करने का अधिकार हो, सेवाओं का प्रयोग करके की जा सकती है। इस प्रावधान के बावजूद भी, यदि एक नामित विमान कम्पनी अपनी ही ग्राउंड तथा रैम्प हैंडलिंग सेवाएं न प्रदान करने का चयन करती है तो वह उस संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित संगठन की सेवाओं का ही प्रयोग करेगी।

अनुच्छेद 18

1. प्रस्तुत करार के अनुच्छेद 7,8,9,10,13,16 तथा 17 के उपबंध एक संविदाकारी पक्ष की विमान कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में अथवा से परिचालित की गयी चार्टर उड़ानों पर तथा ऐसी उड़ानों का परिचालन करने वाली विमान कम्पनी पर भी लागू होंगे।

2. इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ दोनों में से किसी भी वैमानिक प्राधिकारी पर दूसरे संविदाकारी पक्ष की किसी विमान कम्पनी द्वारा चार्टर उड़ानों के अनुमोदन के लिए कोई आभार नहीं समझा जाएगा।

अनुच्छेद 19

1. परस्पर घनिष्ठ सहयोग की भावना से, संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी प्रस्तुत करार तथा इसके अनुबंध के उपबंधों के प्रवर्तन तथा संतोषप्रद अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर एक दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे।

2. इस प्रकार का विचार-विमर्श, यदि अन्यथा सहमति न हो सके, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से साठ (60) दिन की अवधि के अंदर-अंदर आरंभ किया जाएगा।

अनुच्छेद 20

यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष यह समझे कि इस करार के किसी उपबंध में संशोधन करना वांछनीय है तो वह दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार का विचार-विमर्श, जोकि वैमानिक प्राधिकारियों के बीच बातचीत द्वारा अथवा पत्र-व्यवहार द्वारा हो सकता है, अनुरोध की तारीख से साठ (60) दिन की अवधि के अंदर-अंदर आरंभ कर दिया जाएगा। इस प्रकार के विचार विमर्श के अनुसार किया गया कोई भी संशोधन तभी प्रभावी होगा जब पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा इसकी पुष्टि कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 21

यदि प्रस्तुत करार के अर्थ निर्वचन अथवा प्रवर्तन के संबंध में संविदाकारी पक्षों के बीच कोई विवाद उठ खड़ा होता है, तो संविदाकारी पक्ष इसे बातचीत द्वारा निपटाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा विचार-विमर्श यथाशीघ्र आरम्भ किया जाएगा परन्तु किसी भी स्थिति में, जब तक कि संविदाकारी पक्ष अन्यथा सहमत न हो जाएं, विचार विमर्श के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिन से आगे नहीं जाएगा। यदि अगले नब्वे (90) दिन के अंदर-अंदर भी कोई संतोषप्रद समझौता नहीं हो पाता तो इस पर, यदि संविदाकारी पक्षों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, इस करार के अनुच्छेद 6 के उपबंध लागू किये जा सकेंगे।

bvhm

714

अनुच्छेद 22

दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष प्रस्तुत करार के प्रवर्तन की तारीख के बाद दूसरे संविदाकारी पक्ष को किसी भी समय राजनयिक माध्यमों से यह नोटिस दे सकता है कि वह प्रस्तुत करार को समाप्त करना चाहता है। इस प्रकार का नोटिस साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी भेजा जाएगा। यदि करार को समाप्त करने का नोटिस इस अवधि के समाप्त होने से पहले पहले परस्पर सहमति से वापस नहीं ले लिया जाता तो यह करार दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से एक (1) वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। यदि दूसरे संविदाकारी पक्ष से प्राप्ति सूचना न मिले तो अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को यह नोटिस मिलने के चौदह (14) दिन बाद वह उस पक्ष को भी मिल गया मान लिया जायेगा।

अनुच्छेद 23

प्रस्तुत करार तथा इसमें किए गए किसी भी संशोधन को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के पास पंजीकृत कराया जाएगा।

अनुच्छेद 24

यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय विमान सेवा करार लागू होता है तो ऐसे करार के उपबंध लागू रहेंगे। इस करार के अनुच्छेद 19 के अनुसार विचार-विमर्श यह निश्चित करने की दृष्टि से किया जा सकेगा कि यह करार बहुपक्षीय विमान सेवा करार के उपबंधों से किस सीमा तक प्रभावित होता है।

अनुच्छेद 25

यह करार उस समय लागू होगा जब प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को राजनयिक नोट द्वारा इस बात के बारे में सूचित कर देगा कि उन्होंने इस करार को लागू करने के लिए जो भी आंतरिक स्वीकृति अपेक्षित हो, प्राप्त कर ली है।

--18--

इसके साक्ष्य में, अपनी-अपनी सरकारों से इस विषय में विधिवत् रूप से प्राधिकृत निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ताओं ने प्रस्तुत करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज दिनांक 20 जुलाई, 1982 को नई दिल्ली में अंग्रेजी, हिन्दी तथा फ्रेंच भाषाओं में हस्ताक्षर किए गए जिनमें से प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है।

कृते भारत सरकार

कृते कनाडा सरकार